झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 84 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

संबंधित संचिका — राखाआ(शिका)-41/2021.

अपीलकर्ता श्रीमती रीना देवी, ग्रा0-कोसोन्दोदीघी, प्र0-देवरी जिला-गिरिडीह ।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा0, गिरिडीह ।

DISPOSED 31/03/2022.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	शिकायतकर्ता श्रीमती रीना देवी, ग्राम–कोसोन्दोदीघी, प्रखण्ड–देवरी, गिरिडीह का शिकायत–पत्र दिनांक–01.06.2021 को ई–मेल के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा वर्ष 2012 में राशन कार्ड हेतु आवेदन करने के बावजूद अबतक उनका राशन कार्ड नहीं बनाये जाने का उल्लेख किया गया था। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति आयोग के पत्रांक–373 दिनांक–08.07.2021 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को प्रेषित की गयी। पुनः स्मार पत्र सं0–480 दिनांक–05.08.2021 एवं पत्रांक–806 दिनांक–07.12.2021 द्वारा स्मारित किया गया। किन्तु कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। अतः उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए इसपर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–28.03.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान आयोग न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को नोटिस निर्गत किया जाय। Rajan 14/03/2022	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.docx25

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–28.03.2022 को वाद संख्या–24 / 2022 के मामले में पुनः सुनवाई की गई।	

प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्त्ता श्रीमती रिना देवी, के पति ग्राम–कोसोन्दोदीघी, प्रखण्ड–देवरी, जिला–गिरिडीह फोन कॉल के माध्यम से उपस्थित हुई। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित रहें।

द्वितीय पक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह का पत्रांक–392 दिनांक–26.03.2022 को प्राप्त है जिसके द्वारा उक्त वाद में अगली तिथि देने का आग्रह किया गया। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह का पत्रांक–375 दिनांक–24.03.2022 भी आयोग को प्राप्त है जिसमें शिकायतकर्त्ता को राशन कार्ड निर्गत किये जाने की सूचना दी गयी है।

शिकायतकर्त्ता श्रीमती रिना देवी, के पति से फोन कॉल के माध्यम से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनको ग्रीन राशन कार्ड निर्गत करा दिया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिकायतकर्त्ता के शिकायत का समाधान हो गया है। अतः वाद की सुनवाई समाप्त की जाती है।

Rajan 31/03/2022

(हलधर महतो)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(डा0 रंजना कुमारी)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रेषित करें।

Rajan 1/04/2022

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267